न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 21/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
कुम्भाराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी भदवासी तहसील व जिला नागौर।		1मूलाराम दत्तक पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी भदवासी तहसील व जिला नागौर। 2तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री सांवरराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कन्हैयालाल सुथार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.3.18

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा ग्राम भदवासी के बंटवाडा आदेश दिनांक 16.07.12 से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.02.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 06.03.2017 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 की ओर से श्री कन्हैयालाल सुथार तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में बंटवाडा आदेश दिनांक 16.7.12 की फोटोप्रति तथा वकील रेस्पोडेन्ट सं.1 ने गोदनामा की फोटोप्रति पेश की है।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस शुरू करते हुए बताया कि

{2}(I)– अपीलाधीन बंटवाडा आदेश की जानकारी अपीलांट को नही थी। अभी करीब 20–25 दिन पूर्व अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से बंटवाडा करने का निवेदन किया तो रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने बंटवाडा पूर्व में ही करवा लेने का कहा जिस पर अपीलांट ने रेकर्ड की नकले दिनांक 25.01.17 को प्राप्त की। तब बंटवाडा बात जानकारी हुई। तब अपीलांट ने तहसील कार्यालय से नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया जो नकले दिनांक 16.02.17 को तैयार होकर प्राप्त हुई तब अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने गलत रूप से अपना हिस्सा अधिक बताते दानाराम की सम्पति में हक अधिकार नही होते हुए भी दानाराम की सम्पति में अपना बंट बता कर दिनांक 16.07.12 को बंटवाडा करवा लिया। नकले प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। इसलिये जानकारी से अंदर मयाद अपील प्रस्तुत की गई है। इसलिये जानकारी से अंदर मयाद अपील प्रस्तुत की गई है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि इस मामले में भाईयों के बीच विवाद है। इसलिये गुणावगुण पर विचार किये बिना अपील को काल बाधित नही माना जाना चाहिये। अपीलांट द्वारा आदेश जैर अपील की जानकारी होते ही अपील मय मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिससे अपीलांट के आचरण में सुस्ती, लापरवाही अथवा दुराशय भी नही है तथा विलंब असामान्य नही होने से तकनीकी आधारों के बजाय मामले को गुणावगुण पर निर्णीत करना चाहिये। इसलिये अपील अंदर मियाद सुमार मानी जाना उचित व न्यायसंगत है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे (एससी) 2015 पेज 592, आरआरटी 2015 (2) पेज 878, आरआरटी 2011 (1) पेज 602, डीएनजे (राज) 2014 (3) पेज 1136, आरआरटी 2006–07 (Supp) पेज 372, आरआरटी 2012 (1) पेज 668, आरआरटी 2011 (2) पेज 1350, आरआरटी 2011 (2) पेज 829, आरआरटी 2008 (2) पेज 1183 नजीरे प्रस्तुत की गई है।

{2}(II)–म्यूटेशन जैर अपील खिलाफ कानून व उपलब्ध तथ्यों व परिस्थितियों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–रेस्पोडेन्ट सं. 1 आज से करीब 45 वर्ष पहले ही रावतराम के गोद चला गया व दानाराम के जीवन काल में ही गोद चला गया व रावतराम का उत्तराधिकारी हो गया। इसलिये हिन्दू उतराधिकार

अपर कलक्टर, नागौर

अधिनियम के प्रावधानों व हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गोद जाने के दिन से ही दत्तक पुत्र का संबंध अपने जाइन्दा माता पिता से समाप्त हो जाता है व गोद के दिन से ही दत्तक पिता के उत्तराधिकार बाबत प्राकृतिक पुत्र के समान हक अधिकार प्राप्त हो जाते है व जाइन्दा पिता के परिवार से संबंध समाप्त हो जाने के कारण जाइन्दा पिता की सम्पति में किसी प्रकार का अधिकार नही रहता है। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट सं. 1 का संबंध आज से करीब 45 साल पहले ही दानाराम के परिवार से समाप्त हो गये व दत्तक पुत्र के रूप में रावतराम के उत्तराधिकार के प्राकृतिक पुत्र के समान अधिकार प्राप्त हो गये। इसलिये दानाराम की सम्पति में रेस्पोडेन्ट सं. 1 का किसी प्रकार का हिस्सा नही रहा। ऐसी स्थिति में दानाराम के खातेदारी के खेताय खसरा नं. 139, 140, 178 व 158/609 में रेस्पोडेन्ट सं. 1 का किसी प्रकार का हक अधिकार नही बनता है व खसरा नं. 38 व 39 में मात्र 1/2 हिस्सा बनता है। इसलिये रेस्पोडेन्ट सं. 1 को खेताय खसरा नं. 139, 140, 178 व 158/609 का बंटवाडा करवाने का कोई अधिकार नही है व न ही उक्त खेताय में किसी प्रकार का हक हिस्सा ही बनता है व न ही प्राप्त करने का अधिकारी ही है। इसलिये विवादित म्यूटेशन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अपीलांट की माता अणदी का देहान्त दिनांक 03.01.09 को हो गया। जिसका एक मात्र उत्तराधिकारी अपीलांट ही है। रेस्पोडेन्ट गोद हो जाने के कारण अपनी जाइन्दा माता का उत्तराधिकारी नही रहा। परंतु अणदी के फौतगी नामान्तरकरण में भी तत्कालीन पटवारी हल्का के साथ मिलावट कर अपना नाम उत्तराधिकारी नही होते हुए भी दर्ज करवा लिया व इसी आधार पर हिस्सा नही होते हुए भी व बंटवाडा करवाने का अधिकारी नही होते हुए भी मिलावट कर बंटवाडा करवा लिया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(V)–रेस्पोडेन्ट सं. 1 की नीयत अपने जाइन्दा पिता दानाराम की सम्पति में बिना अधिकार के हिस्सा प्राप्त करने व अपीलांट की सम्पति को हडपने की रही इसलिये अपीलांट के भोलेपन व जानकारी नही होने व अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को अपना बडा भाई मानकर किये जा रहे विश्वास का फायदा उठाकर उक्त दानाराम की खातेदारी के खेताय में किसी प्रकार का हक अधिकार नही होते हुए भी दानाराम की फौतगी नामान्तरकरण में अपना नाम दर्ज करवा लिया जिसकी जानकारी अपीलांट को नही हुई। क्योंकि अपीलांट तो रेस्पोडेन्ट सं. 1 पर पूर्ण विश्वास करता था। इसलिये खेतो की खातेदारी की ओर कभी भी ध्यान नही दिया। तत्पश्चात अपीलार्थी की माता की देहान्त होने के बाद भी फौतगी नामान्तरकरण में अपना नाम दर्ज करवा लिया व करीब 4 साल पहले रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपने नाम से किसान कार्ड उठाने का कहरकर सहमति देने का कहा जिस पर अपीलांट ने सहमति देने का कह दिया। जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 स्टांप पेपर पर लिखापढी कर खाली फार्म पर व लिखापढी बाबत जानकारी दिये बिना अपीलांट के हस्ताक्षर करवा लिये व अपीलांट ने विश्वास कर अपने हस्ताक्षर बिना दस्तावेज को पढे कर दिये। उक्त दस्तावेज को रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने काम में लेते हुए पटवारी हल्का के साथ मिलावट कर गलत रूप से अपीलांट के साथ धोखा करते हुए अपीलाधीन बंटवाडा करवा लिया जो धोखा करते हुए कूट रचित रूप से बिना जानकारी दिये गलत रूप से हिस्से से अधिक बिना अधिकार के बंटवाडा अपने नाम करवाया है। जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(VI)–उक्त बंटवाडा तस्दीक करने से पूर्व तहसीलदार नागौर ने दोनो पक्षों के बयान नही लिये व न ही बंटवाडा बाबत तस्दीक की। यदि तस्दीक की जाती तो अपीलांट द्वारा वास्तविक तथ्य प्रस्तुत किये जाते व वास्तविक तथ्य प्रस्तुत किये जाते व वास्तविक हालात व गोद बाबत तथ्य प्रकट किये जाते जिससे बंटवाडा संभव नही था। संपूर्ण कार्यवाही मिलावट कर की गई है। इसलिये भी अपीलाधीन बंटवाडा आदेश विधिसम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे (एससी) 2012 पेज 825 नजीर प्रस्तुत की। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट पर अत्यधिक विश्वास होने से आपसी राजनामा से बंटवाडा हुआ है। मगर रेस्पोडेन्ट का आराजी भूमि में हक हिस्सा नही होते हुए भी उसने विधिविरूद्व बंटवाडा करवाया है। जो निरस्त कर वापस सुनवाई पर लिया जा सकता है। इसलिये आदेश जैर अपील निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्लू 2015 (2) पेज 1438 व डीएनजे (एससी) 2010 पेज 900 नजीर प्रस्तुत की गई है।

{3}–वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा वकील अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि

अपर कलक्टर, नागौर

{3}(I)–वादग्रस्त खेताय पैतृक खेताय थे, इनका आपसी सहमति से बंटवाडा की लिखत दिनांक 16.07.12 को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के बीच लिखी जाकर उसी दिन नोटेरी से तस्दीक कराया गया था व उसी रोज तहसीलदार नागौर को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त खेत का बंटवाडा हेतु आवेदन पेश किया था। जिस पर दोनो पक्षो को पूरी पूछताछ करके बंटवाडा किया गया था, उसी मुताबिक राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो रखा है। ऐसी देशा में अपीलांट का यह कथन कि दिनांक 25.01.17 को नकल लेने पर जानकारी हुई, कहना पूर्ण रूप से झूठ है तथा आदेश जैर अपील की जानकारी वक्त बंटवाडा वर्ष 2012 में हो जाना रिकार्डेड साबित हो जाने के बावजूद भी इतने विलंब से अपील प्रस्तुत की गई है। जो मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नही है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आदेश जैर अपील दिनांक 16.7.12 के विरूद्व अपील करीबन 5 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है। देरी का कारण भी सदभाविक नही है तथा निराधार व बनावटी है। इसलिये मियाद के बिन्दु पर अपील चलने योग्य नही है। ऐसी दशा में अंदर मियाद की अर्जी बनावटी व झूठी कहानी पर आधारित होने से खारिज होने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2009 (1) पेज 488, आआरडी 2016 रामजीलाल बनाम रामजीलाल, आरआरटी 2015 (1) पेज 232, आरआरटी 2002 (1) पेज 77, आरआरडी 2003 पेज 416, आरआरटी 2012 (1) पेज 512 नजीरे प्रस्तुत की गई है।

{3}(II)–अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट मूलाराम का 45 वर्ष पूर्व गोद जाने का कथन किया। जबकि संवत 2050 की आखातीज को गोदनामा हुआ है। जो गोदनामा दिनांक 05.01.94 को पंजीबद्व है। उक्त गोद से पहले रेस्पोडेन्ट मूलाराम के जाईन्दा पिता का देहान्त हो चुका था। यानि पिता की सम्पति उसे उत्तराधिकार में स्व. मूलाराम से मिलनी थी। जो मिली है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि पक्षकारों में आपसी रजामंदी से बंटवाडा हुआ है तथा वो रिकार्डेड खातेदार भी रहे है तो ऐसी डिक्री को अब चेलेन्ज नही किया जा सकता है तथा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्लू 1954 पेज 106, सीसीसी 1994 (2) पेज 514, आरआरडी 1970 पेज 21 नजीरे प्रस्तुत की गई है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में ग्राम भदवासी में स्थित भूमि खसरा नं. 139, 140, 178, 38, 39 व 158/609 की 82.01 बीघा भूमि का रिकार्डेड सहखातेदारों के मध्य आपसी सहमति से बंटवाडा दिनांक 16.7.12 को किया गया है। जो कूटरचित रूप से किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार पर साबित नही है। अपील करीब 5 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रतिदिन का कारण बताना होता है। जबकि प्रस्तुत मामले में अत्यधिक विलंब के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नही है। अपीलांट 5 वर्ष तक आदेश जैर अपील से अनभिज्ञ रहा हो, ऐसा कोई ठोस आधार मियाद प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेजी आधार पर साबित नही है तथा वर्ष 2012 में इसी भूमि को लेकर दोनो पक्षो ने आपसी रजामंदी से भूमि का विभाजन करवाया है तो अब उसका यह कथन कि उसे आदेश जैर अपील की पूर्व में जानकारी नही हो, जो विश्वसनीय प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर अपीलांट की अपील चलने योग्य नही है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर